न्यायालयः— प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय चंदेरी अशोकनगर, (म.प्र.) (समक्ष — सैफी दाऊदी)

<u>आपराधिक अपील क. 76 / 17</u> संस्थित दिनांक 25.04.17

गुलाब सिंह पुत्र नथन सिंह जाति ठाकुर, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम नावनी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

---- अपीलार्थी / अभियुक्त

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र चंदेरी, जिला अशोकनगर, म.प्र.

———— प्रत्यर्थी / अभियोजक

अपीलार्थी / अभियुक्त द्वारा प्रत्यर्थी / अभियोजन द्वारा :- श्री गौरव जैन अधिवक्ता।

:- श्री राजपूत अपर लोक अभियोजक।

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांकको पारित किया गया)

- 1. श्री जफर इकवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी चंदेरी द्वारा आपराधिक प्रकरण कमांक 90/2011 में घोषित आलोच्य निर्णय दिनांक 13.04.17 द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त गुलाब सिंह को धारा 324/34 भादिव के आरोप में तीन माह के साधारण कारावास एवं 500/— रूपये के अर्थदंड से एवं व्यतिक्रम पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास तथा धारा 452 भादिव के आरोप में 03 माह के साधारण कारावास तथा 500 रूपये के अर्थदंड से तथा व्यतिक्रम में 07 दिवस के साधारण कारावास से तथा दोनों दंडादेश एकसाथ भुगताये जाने के दंड से दंडित किया गया है, जिससे व्यथित होकर वर्तमान अपील अंतर्गत धारा 374"3" दंप्रसं अपीलार्थी गुलाब सिह की ओर से प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी को इसमें इसके पश्चात् अभियुक्त संबोधित किया जायेगा।
- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि दिनांक 28.09.16 को उभयपक्ष के मध्य राजीनामा संपन्न होने से अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया गया था।

- विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन प्रकरण इस प्रकार रहा है 3. कि आहत अभियोगी मुन्नीबाई ने दिनांक 13.02.11 को सुबह 10 बजे कारित हुई घटना के संबंध में पुलिस थाना चंदेरी अपने पुत्र देवेन्द्र कुम्हार सहित उपस्थित होकर अभियुक्त गुलाब सिंह व अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 अंकित कराँयी कि, लगभग तीन वर्षे पूर्व की रंजिश को लेकर गुलाब सिंह अन्य दो और महिला अभियुक्तगण सहित दस बजे उसके कमरे में आये और उसके लड़के देवेन्द्र के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट करने को चैंट गये। गुलाबसिंह मादरचोद बहनचोद की अश्लील गालियां देकर कहने लगा कि तेरे बाप मेहतारी तलात्कार में राजीनामा नहीं करेगा तो ऐसे ही मारपीट करेंगे और जब अभियोगी ने देवेन्द्र को बचाया तो गुलाब सिंह ने अभियोगी के वांये हाथ के दड़े पर फर्सा मारा, चोट लगने से खून निकल आया फिर फर्स में लगी लाठी से अभियोगी को वांये पैर की जांघ में मुंदी चोट पहुंचायी। देवेन्द्र से मारपीट किये जाने में देवेन्द्र की नाक से खून निकल कर मुंदी चोटें आयी और पग्गो सरदार, लाला कुम्हार और वीरेन्द्र कुम्हार ने बीच बचाव किया। प्रदर्श पी 2 की रिपोर्ट के तारतम्य में देवेन्द्र और मुन्नीबाई का चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 एवं 4 चिकित्सक द्वारा अभिलिखित किया गया। अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 बनाया गया। अभियोजन साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 8 अंकित करने के पश्चात धारा 542, 294, 323/34 भादवि के अधीन अभियोग पत्र विद्वान विचारण में प्रस्तुत किया गया।
- 4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323/34 452 एवं 324 भा.दं.वि. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोप विरचित किये गये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त का अभिवाक लेखबद्ध किया गया और अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. संपन्न किये जाने पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित करते हुए, अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं देना अभिकथित किया।
- 5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का मूल्यांकन कर अभियुक्त को भा.दं.वि. की धारा 324/34, 452 भा.दं. वि. के आरोप हेतु पूर्व उपरिलिखित दंडादेश अधिरोपित किया। उक्त दंडादेश के विरूद्ध ही वर्तमान आपराधिक अपील विचाराधीन है।
- 6. अपीलार्थी / अभियुक्त की ओर से वर्तमान अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दस बजे कारित घटना के संबंध में दोपहर ढाई बजे अंकित करायी गयी और इस विलंब का कारण लेखबद्ध नहीं किया गया है। अभियोगी ने घटना को तीन वर्ष पूर्व की होने की अभिकथित किया गया है और देवेन्द्र को चायपत्ती लेने दुकान पर जाने पर दुकान पर ही गुलाब सिंह द्वारा मारपीट की जाना अभियोगी ने कथित किया है, अन्य साक्षीगण एवं अभियोगी के कथन में आये विरोधाभास पर विद्वान विचारण न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर गंभीर विधिक

त्रुटि कारित की है। इसके अतिरिक्त चिकित्सक साक्ष्य एवं मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 की अंतर्वस्तुओं पर व अभियुक्त गुलाब सिंह से कोई आयुध जप्त नहीं होने के तथ्य पर एवं उभयपक्ष के परिवारों के मध्य वैमनस्य विद्यमान होने के तथ्य पर विद्वान विचारण न्यायालय ने कोई ध्यान आकर्षित नहीं कर गंभीर विधिक त्रुटि कारित की गयी है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडाज्ञा दिनांक 13. 04.17 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

- 7. वर्तमान दिनांक को अपर लोक अभियोजक का चंदेरी का कार्य दिवस नहीं होने से राज्य की ओर से तर्क प्रस्तुत नहीं हुए हैं।
- 8. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्क के आलोक एवं अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य तथा विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन एवं परिशीलन किये जाने पर यह अवधारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं कि :—
 - 1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि का दिया गया निष्कर्ष अभिलेखगत साक्ष्य एवं सुसंगत विधि के अनुकूल है ? ''यदि हां तो''
 - क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रदत्त दंडादेश विधि के अनुकूल है ?

साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष

अवधारणीय प्रश्न कमांक 1 :-

- 9. विद्वान विचारण न्यायालय में अभियोजन ने अभियोजन साक्षी वीरेन्द्र प्रजापित अ.सा.1, अभियोगी मुन्नीबाई अ.सा.2, साक्षी देवेन्द्र प्रजापित अ.सा.3, चिकित्सक डॉ. सिद्धार्थ अ.सा.4 साक्षी लाला अ.सा.5 पग्गू अ.सा.6 एवं अनुसंधानकर्ता प्रधान आरक्षक सालिगराम अ.सा.7 का अभिकथन अंकित कराया है।
- 10. अपीलार्थी / अभियुक्त की ओर अपील मेमो में अभिवाचित तथ्यों को ही अपने तर्क में अवलंबित किया है जबकि अभियोजन की ओर से तर्क व्यक्त किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेखगत साक्ष्य का उचित साक्ष्य मूल्यांकन कर अभियुक्तगण को सिद्धदोष पाते हुए उचित दंडादेश अधिरोपित किया है।
- 11. जहां तक विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभुियक्त गुलाब सिंह को धारा 452 भादिव के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में सिद्धदोष निष्कर्षित किये जाने की विधि मान्यता का प्रश्न है ? अभियोगी मुन्नीबाई अ.सा.2 का मुख्य परीक्षण मात्र इस तथ्य के संबंध में है कि लगभग तीन वर्ष पूर्व दिन के दस बजे दम्मू के घर गुलाब सिंह अभियोगी के लड़के देवेन्द्र को मारने आया था देवेन्द्र चायपत्ती लेने गया था और उसकी मारपीट गुलाब सिंह ने ही की थी और जब अभियोगी ने देवेन्द्र को मारपीट करने से मना किया था, तब गुलाब सिंह ने उसे फर्सा वांये हाथ में मारा। अर्थात उक्त अभिकथन द्वारा अभियोगी मुन्नीबाई अ.सा.2 अभियुक्त गुलाब सिंह अ.सा.2 का उपहित

कारित करने साधन फर्सा सिहत निवास गृह में प्रविष्ठ होकर गृह अतिचार करने विषयक अभिकथन अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित करती है। प्रश्नगत घटना के समय आहत देवेन्द्र अपने घर स्थित पौर जिसे कमरा कहते हैं, में होना और स्वयं को घर पर बैठा होना मुख्य परीक्षण में कथित करता है। उक्त साक्षीगण के कथन का अनुसमर्थन साक्षीगण वीरेन्द्र प्रजापित अ.सा.१ एवं लाला अ.सा.५ एवं पग्गो अ.सा.६ अपने मुख्य परीक्षण में नहीं करते।

- 12. साक्षी प्रधान आरक्षक सालिगराम अ.सा.7, जो कि पुलिसकर्मी होकर, उक्त साक्षी की कोई हितबद्धता अभियुक्त गुलाब सिंह से या कोई रंजिश अभियोगी मुन्नीबाई या आहत देवेन्द्र से अभिलेखगत साक्ष्य से प्रकट नहीं है, का मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का अभिकथन इस तथ्य को प्रकट नहीं करता कि उसने अनुसंधान के प्रकम पर घटना में अभियुक्त गुलाब सिंह द्वारा साधन के रूप में प्रयुक्त कोई फर्सा जप्त किया था।
- 13. धारा 452 भादवि के आकर्षित होने हेतु प्रथम आवश्यक शर्त ही यही है कि गृह अतिचार कारित किये जाते समय अतिचारी उपहित कारित करने के साधन या सदोष परिरोध करने के साधन सिहत घर में प्रवेश करे। जहां अभियुक्त से कथित फर्सा जप्त ही नहीं किया गया है, तब अपराध स्वमेव धारा 452 भादवि की परिधि से बाहर होकर धारा 451 भादवि की परिधि में आकर खड़ा हो जाता है और गृह अतिचार कारित किये जाते समय अभियुक्त का शस्त्र विहीन होना स्वयं आहतगण देवेन्द्र एवं मुन्नीबाई के चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 एवं प्रदर्श पी 4 की अंतर्वस्तु से एवं उनके परीक्षणकर्ता चिकित्सक डॉ. सिद्धार्थ अ.सा.4 के अभिकथन से भी प्रकट होता है कि मुन्नीबाई को कारित चोट सख्त एवं बोथरी वस्तु से कारित उपहतियां थीं और यह बोथरी वस्तु स्पष्ट है कि कथित आक्षेपित फर्सा नहीं थी।
- 14. स्वयं अभियोगी मुन्नीबाई अ.सा.2 का कथन भी स्पष्ट रूप से इस तथ्य को प्रकट नहीं करता कि अभुयक्त गुलाब सिंह फर्सा से लेस होकर उसके घर में उसे अथवा देवेन्द्र को मारपीट करने के प्रयोजन से प्रविष्ट हुआ था, तब आक्षेपित अपराध स्वमेव धारा 452 भादिव की परिधि से बाहर धारा 451 भादिव में परिवर्तित हो जाता है और जहां कारावास से दंडनीय अपराध करने के प्रयोजन से अभियुक्त गुलाब सिंह का आपराधिक गृह अतिचार कारित किये जाने के तथ्य पर विचार किया जाये तो स्वयं साक्षी मुन्नीबाई अ.सा.2 अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में कथित करती है उसकी मारपीट गुलाब सिंह ने चबूतरे पर ही की थी और स्वतः अभिकथनानुसार घर के दरवाजे पर ही की थी। अर्थात अभियोगी के उक्त कथन से भी अभियुक्त का अभियोगी के निवास स्थल के अंदर प्रविष्ठ होने का तथ्य प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय नेअभियुक्त गुलाब सिंह को धारा 452 भादिव के आरोप में सिद्धदोष घोषित कर दंडाज्ञा अधिरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से अपास्त कर अभियुक्त गुलाब सिंह को धारा 452 भादिव के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 15. जहां तक विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त गुलाब सिंह को धारा 324/34 भा.दं.वि. के अपराध के संबंध में सिद्धदोष निष्कर्षित कर दंडाज्ञा अधिरोपित किये जाने की विधि मान्यता का प्रश्न है ? पूर्ववर्ती साक्ष्य मूल्यांकन से अभियुक्त गुलाब सिंह से धारदार, आक्रमक आयुध फरसा जप्त किये जाने का तथ्य प्रमाणन नहीं है। आहत् देवेन्द्र अ.सा.3 एवं अभियोगी मुन्नीबाई अ.सा.2 के चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 एवं प्रदर्श पी 4 की अंतर्वस्तु इस तथ्य को प्रकट नहीं करती कि, उन्हें किसी आक्रमक आयुध से कोई उपहित कारित हुई है। आहत् देवेन्द्र के चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 में उसे कोई बाह्य दृश्य उपहित विद्यमान होना अभिलिखित नहीं है, जबिक अभियोगी मुन्नीबाई अ.सा.2 के शरीर पर चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 की अन्तर्वस्तु अनुसार एक फटा हुआ घाव और एक नीलगू सख्त एवं बोथरी वस्तु से परीक्षण के पूर्व 24 घंटे की अविध में किसी समय कारित होना अंकित होकर साक्षी चिकित्सक डॉ. सिद्धार्थ अ.सा.4 उक्त तथ्यों को अपने अभिकथन में अनुसमर्थित करता है।
- 16. उक्त चिकित्सक से आहतगण का कोई विद्वेष या अभियुक्त गुलाब सिंह की कोई हितबद्धता अभिलेख से प्रकट नहीं होने से चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 एवं 4 की अंतर्वस्तुएं अभियोगी मुन्नीबाई अ.सा.2 एवं आहत देवेन्द्र 3 के मौखिक साक्ष्य से सर्वथा विरोधाभासी तथ्य है और इन तथ्यों की पुष्टि हेतु कि, आहत मुन्नीबाई को फरसे से कोई उपहित कारित हुई थी, घटना में प्रयुक्त कोई फरसा अभियुक्त गुलाब सिंह से जप्त होना भी अभिलेख प्रकट नहीं करता तब ऐसी स्थिति में आहतगण की मौखिक साक्ष्य को चिकित्सकीय साक्ष्य पर वरीयता प्रदत्त नहीं की जा सकती।
- 17. चिकित्सा विधि शास्त्र "मेडीकल ज्यूरिस्प्रूडेंस" में उपहितयों की प्रकृति अभिवर्णित हैं, जिसके अनुसार फटे हुए घाव सामान्यतः सख्त एवं बोथरी वस्तु से ही कारित घाव होते हैं और ऐसे घावों के किनारे असमान रूप से फैले होकर बेतरतीब किनारों के रूप में होते हैं। यदि धारदार आयुध से उपहित कारित की जाये तो उसके किनारे एकसमान चिकने होकर इन घावों को इन्साइज वुंड अर्थात कटे हुए घाव के रूप में अंकित किया जाता है।
- 18. चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 में वर्णित उपहितयां इन्साइज वुंड नहीं हैं, अपितु लेसरेटेड वुंड अर्थात छितरा हुआ घाव एवं नीलगू है जो स्वमेव सख्त एवं बोथरी वस्तु से कारित उपहित हैं ऐसी स्थिति में जबिक इन उपहितयां को अभियोगी अभियुक्त द्वारा ही कारित किये जाने का तथ्य उस दशा में प्रकट होता है जहां कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 में अभियोगी ने अभियुक्त गुलाब सिंह द्वारा उसे वांये हाथ के दड़ा पर उपहित कारित किये जाने का तथ्य अंकित कराया है और उसके पश्चात् अभियोगी का मेडीकल परीक्षण कराये जाने पर प्रदर्श पी 4 के चिकित्सा प्रतिवेदन की अंतर्वस्तु अनुसार फटे हुए घाव के रूप में एक उपहित एवं नीलगू के रूप में एक उपहित अभियोगी के शरीर पर मौजूद रही हैं, जिसका अनुसमर्थन साक्षी चिकित्सक सिद्धार्थ अ. सा.4 के अभिकथन से भी होता है।
- 19. चिकित्सक डॉ. सिद्धार्थ अ.सा.४ का कोई विद्वेष या वैमनस्य अभियोगी

मुन्नीबाई से अथवा कोई हितबद्धता अभियुक्त गुलाबसिंह से होना अभिलेख से प्रकट नहीं होने से इस साक्षी द्वारा अभिलिखित चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 की अंतर्वस्तुओं का सत्य होना भी प्रमाणन होता है।

- 20. यह अलग विषय है कि यह उपहितयां आकामक आयुध फर्सा से कारित नहीं है, किन्तु सख्त एवं बोथरी वस्तु से कारित उपहित हैं और यह उपहित अभियुक्त द्वारा ही कारित किया जाना उस दशा में प्रमाणन होता हैं जहां कि अभियोगी मुन्नीबाई का प्रतिपरीक्षण इस तथ्य को प्रकट नहीं करता कि चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 में अभिलिखित उपहित फटे हुए घाव एवं नीलगू के रूप में अभियोगी के शरीर पर कारित होना स्वयं अभियोगी मुन्नीबाई के ही लापरवाहीपूर्ण कृत्य का परिणाम रही हैं, अथवा यह उपहितयां स्वयं अभियोगी ने ही अपने शरीर पर स्वयं ही कारित कर ली हैं।
- 21. ऐसी स्थिति में अभियोगी के शरीर पर विद्यमान उपहितयां अभियुक्त के ही आपराधिक कृत्य का परिणाम होना प्रमाणित हैं और जहां यह उपहितयां फटे हुए ह । व एवं नीलगू के रूप में सख्त एवं बोथरी वस्तु से कारित की गयी उपहितयां हैं वहां यह उपहित कारित करने में प्रयुक्त साधन अर्थात आयुध के सख्त एवं बोथरे होने से कारित किया गया अपराध धारा 323 भादि के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में उक्त समस्त तथ्यों पर विद्वान विचारण न्यायालय ने सूक्ष्मता से साक्ष्य मूल्यांकन नहीं कर अभियुक्त गुलाबिसंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 के आरोप हेतु दोषसिद्ध करने में विधिक त्रुटि कारित की है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से इस दोषसिद्धि एवं इसके अधीन प्रदत्त दंडादेश को अपास्त कर अभियुक्त को संशोधित रूप से धारा 323 भादिव के दंडनीय अपराध के आरोप हेतु दोषसिद्ध किया जाता है।
- 22. चूंकि विचारण न्यायालय के समक्ष ही समनीय अपराधों के संबंध में देवेन्द्र एवं मुन्नीबाई का राजीनामा अभियुक्त गुलाब सिंह से भी हो चुका है। वहां ऐसी स्थिति में उस समन के अधीन धारा 323 भादिव के आरोप का भी समन हो जाने से अभियुक्त गुलाब सिंह को धारा 323 भादिव के अंतर्गत सिद्धदोष अपराध के आरोप से भी दोषमुक्त किया जाता है।

अवधारणीय प्रश्न कमांक 2 :-

- 23. सकल विवेचना उपरांत गुलाब सिंह को धारा 452 भादवि एवं धारा 323 भादवि के आरोप से दोषमुक्त कर स्वंतत्र किया जाता है और तदनुसार अपील स्वीकार कर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडाज्ञा दिनांक 13.04.17 को अपास्त किया जाता है।
- 24. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 25. प्रकरण में निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल नहीं है।

26. अभियुक्त गुलाब सिंह द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करायी गयी अर्थदंड की राशि अपील अवधि पश्चात. अपील न होने की दशा में उसे वापस लौटायी जाये।

तदनुसार अपील निराकृत की जाती है। 27.

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(सैफी दाऊदी) के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) दिनांक- 27.02.18

(सैफी दाऊदी) प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अति. न्यायाधीश श्रंखला न्यायालय चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)